कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा / माध्यमिक / शाला दर्पण / इंटर्नशिप / 2020–21/108 दिनांक : 10-08-21

::बी.एड. / डी.एल.एड. वर्ष 2020–21 प्रथम व द्वितीय वर्ष इन्टर्नशिप हेतु दिशा–निर्देश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.31(1)शिक्षा–4 / 2015 जयपुर दिनांक : 07.09.2016, प. 7(1)प्राशि / आयो / 2016 जयपुर दिनांक : 20.09.2016 एवं प.7(10)प्राशि / आयो / 2019 जयपुर दिनांक : 05.07.2021 एवं 09.07.2021 के अनुसार बी.एड. / डी.एल.एड. के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इन्टर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रुप से राजकीय विद्यालयों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

सत्र 2020–21 में राजकीय एवं निजी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं / महाविद्यालयों में अध्ययनरत् डी.एल.एड. एवं बी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों को इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय / निजी विद्यालय का आवंटन बैठक दिनांक : 13.11.2017 के कार्यवाही विवरण प.7(5)प्राशि / आयो / 2017 जयपुर दिनांक : 22.11.2017 के अनुसार करने हेतु संबंधित जिले की जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्रांक : रा.स्कू. शि.प./शालादर्पण/इन्टर्नशिप/2021/1233, दिनांक : 06.07.2021 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/माध्यमिक/शालादर्पण/इन्टर्नशिप/2020–21 दिनांक : 13.07.2021 द्वारा जारी डी.एल.एड. एवं बी.एड. इन्टर्नशिप दिशानिर्देशों के क्रम में नोडल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने के पूरक दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :–

1. शालादर्पण पोर्टल पर द्वितीय वर्ष इन्टर्नशिप आवण्टन में राज्य के कई छात्राध्यापक विद्यालय विकल्प भरने से वंचित रह गये है। ऐसे वंचित रहे अभ्यर्थियों के को ध्यान में रखते हुए उन्हें डी. एल.एड. / बी.एड. के प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन (विकल्प) भरवाये जाने हेतु डी.एल.एड/बी.एड. प्रथम वर्ष इन्टर्नशिप कार्यक्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र. सं.	इंटर्नशिप चरण	इंटर्नशिप हेतु आवेदन (choice filling) की अवधि	इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन	विद्यालय में कार्यग्रहण	परिवेदना प्रस्तुत एवं निस्तारण अवधि
1.	डी.एल.एड. / बी.एड. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें द्वितीय चरण हेतु चिन्हित किया गया है	02 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2021 तक	18 अगस्त, 2021 को	विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस तक	28 अगस्त से 1 सितम्बर, 2021 के मध्य

2. कोविड–19 की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए इन्टर्नशिप प्रशिक्षणार्थियों के उनके निवास से नजदीक विद्यालयों में ही इन्टर्नशिप आवण्टन को प्राथमिकता देने के विभाग के छात्र हितों को प्राथमिकता देते हुए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.1 में वर्णित टेबल में **समस्त**

माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 15 जून को वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद +7 में वृद्धि कर +9 किया जाता है।

3. कोविड–19 की महामारी के कारण वर्तमान में विद्यालयों में नियमित अध्ययन कार्य नहीं हो रहा है। इन्टर्नशिप प्रशिक्षणार्थी **स्माईल 3.0, आओ घर से सीखे 2.0 , शिक्षावाणी, शिक्षादर्शन, हवामहल , ई–कक्षा, साप्ताहिक क्विज, अनेक डिजिटल माध्यम–यू–ट्यूब , वाट्सएप्प ग्रुप, विडियों लिंक एवं संस्था प्रधान द्वारा निर्देशित समस्त कार्य करेंगे ।**

4. प्रस्तावित रीट 2021 परीक्षा के परिणाम से पूर्व बी.एड./डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष का इन्टर्नशिप प्रशिक्षण पूर्ण करवाकर परिणाम जारी करने के राज्य सरकार के प्रयासों को मध्यनजर रखते हुए बी.एड./डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा राजकीय अवकाश एवं रविवार को भी इन्टर्नशिप प्रशिक्षण अनवरत जारी रखा जाना है। उक्त राजकीय अवकाश एवं रविवार को इन्टर्नशिप प्रशिक्षार्णी वर्क फॉर होम से विद्यार्थियों के साथ वाट्सएप क्विज, होमवर्क/वर्कशीट मूल्यांकन, ई–कक्षा, छात्र/अभिभावक कालिग एवं संस्था प्रधान द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे जिनकी सम्बन्धित संस्था प्रधान एवं पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे।

नोटः राजकीय अवकाश/सार्वजनिक अवकाश के दिन सम्बन्धिन इन्टर्नशिप विद्यालय में उपस्थित नहीं होना है अर्थात वर्क फॉर होम से इन्टर्नशिप प्रशिक्षण को अनवरत रखा जाना है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक, शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/माध्यमिक/शाला दर्पण/इंटर्नशिप/2020–21/08 दिनांकः -10.08-21

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
5. उपायुक्त (शाला दर्पण) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
6. प्रबन्धक, संस्था/संस्थान/महाविद्यालय, समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.–समसा, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग, राजस्थान।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि./प्रा.शि. (मुख्यालय) राजस्थान।
11. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान।
12. समस्त प्रधानाचाय, राजकीय/निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था/महाविद्यालय।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पीईईओ/यू.सी.सी.ई.ओ. राजस्थान।
15. प्रभारी अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।

निदेशक
माध्यमिक, शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर